

महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम (प्रशिक्षण केन्द्र)

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I) KERALA,
THIRUVANANTHAPURAM (TRAINING CENTRE)

सं.ले.प/प्रशिक्षण/11-2/2024-25/
No.Au/Trg/11-2/2024-25/

दिनांक: 06 मार्च 2025
Date: 06 March 2025

अनुभागीय आदेश सं./SECTIONAL ORDER NO. 381

अनुक्रमणिका आदेश संख्या 327 दिनांक 21.01.2025 में आंशिक संशोधन के तहत, प्रशासनिक कारणों से, इस कार्यालय के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के सामने उल्लिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए मूल रूप से नामांकित अधिकारी के स्थान पर नामांकित किया गया है, जो RCBKI, चेन्नई में आयोजित किए जाने की योजना है।

In partial modification of Sectional Order No. 327 dated 21.01.2025, due to administrative reasons, the following official of this office have been nominated in place of the originally nominated official for the training programs mentioned against his name, scheduled to be conducted at RCBKI, Chennai.

SI No	Name of the Official Originally Nominated	Name of Official change in nomination	Dates of Training	Name of the course
1.	Krishna Kumar Meena AAO/ AMG I	Rahul Raj M Auditor/ ITS	10.03.2025 to 12.03.2025	Information System Security Management

प्रतिभागी अपने आधिकारिक ईमेल आईडी का उपयोग करके साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण और प्रतिक्रिया प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। अधिकारी को साई क्षमता निर्माण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रभाव मूल्यांकन को पूरा करने के लिए भी सूचित किया जाता है, जिसे प्रशिक्षण के अंतिम दिन से 3 महीने पूरा होने की तारीख से 20 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाना है।

The participant may complete the registration and feedback process through SAI Capacity Building Portal using his Official email ID. The official is also informed to complete the online impact assessment through SAI Capacity Building Portal which is to be submitted within 20 days from the date of completion of 3 months of the last day of Training.

(महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) के दिनांक 06 मार्च 2025 के आदेशानुसार)


06.03.2025

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / प्रशिक्षण

Senior Audit Officer/Training

प्रतिलिपि:-

अनुभागीय आदेश बुक/सूचना पट्ट	4.	व.ले.प.अ./प्रशा., रोकड, हक)ले.प.-I)/(ले.प.-II)
संबंधित अधिकारी	5.	प्र.म.ले. (ले.प.-I)/(ले.प.-II) के सचिव/निजी सचिव
संबंधित समूह अधिकारी	6.	सी सेल/आईटी समर्थन कक्ष/हिन्दी कक्ष/सामान्य कक्ष/पी ए ओ/ आई ए